न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24 / 2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रंगलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री छीतर
2. रामदेव आयु 60 वर्ष पुत्र श्री छीतर
3. भूरी आयु 70 वर्ष पुत्री श्री छीतर
4. रामकूरी आयु 68 वर्ष पुत्री श्री छीतर
5. गंगा आयु 62 वर्ष पुत्री श्री छीतर

समस्त जाति गूजर निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनाथ उर्फ रामलाल उम्र 55 वर्ष दत्तक पुत्र श्री उंकार जाति गूजर निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर
2. भूला उम्र करीब 70 वर्ष पत्नि स्व0 श्री उंकार जाति गूजर निवासी पीपलाज
3. श्री रामधन पुत्र श्री रामनाथ उर्फ रामलाल जाति गूजर निवासी पीपलाज
4. जयलाल पुत्र श्री रामनाथ उर्फ रामलाल जाति गूजर निवासी पीपलाज
5. गणेश पुत्र श्री रामनाथ उर्फ रामलाल जाति गूजर निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तह0 सरवाड़ जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— —श्री हेमराज कानावत वकील — प्रार्थीगण
श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ वकील— अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 14.02..2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है,उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजथान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर के रहने वाले है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण्ध संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

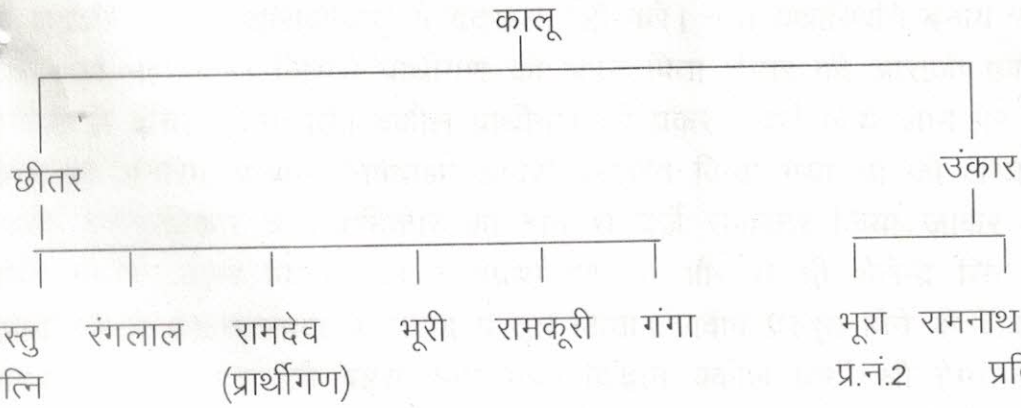

निम्न वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं.1 की पुश्तैनी आराजीयात है।

विवरण आराजीयात

खेवट खतौनी संख्या नयी– पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
630–614	52	0.64.	जाव चाही 1
	54	0.06	चाही 1
	58	0.43	चा01
	64	0.15	चाही 1
	65	0.10	गै.मु.रास्ता
	66	0.45	चाही 1
	123	0.64	बा.1
	140	0.37	बा.1
	किता 8	2.84 हैक्टर	
631–615	55	0.08	चाही 1
	56	0.12	चाही 1
	60	1.00	जाव,चाही 1
	किता 3	1.20	

मुताबिक वंशज सजरा मृतक कालू के दो पुत्र सन्तान छीतर एवं उंकार उत्पन्न हुए थे जिसमे मृतक छीतर के रंगलाल,रामदेव,रामनाथ उर्फ रामलाल उत्पन्न हुए तथा मृतक उकार नाऔलाद रहा जिससे मृतक उकांर ने उसके जीवन काल मे ही प्रार्थीगण के भाई रामनाथ उर्फ रामलाल को गोद ले लिया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 रामनाथ उर्फ रामलाल गोद लिये जाने के पश्चात से ही मृतक उंकार की तमाम जायदाद चल अचल सम्पत्ति आराजी पर बतौर दत्तक पुत्र काबिज एवं मालिक चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 रामनाथ उर्फ रामलाल के गोद चले जाने के पश्चात अपने प्राकृतिक पिता छीतर की जायदाद आराजी पर उसका कोई विधिक हक अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थी का प्राईमाफैसाई केस है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उनके नौकर चाकर हाली सीरी परिवार के सदस्यगण रिश्तेदारान आदि को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे वार्णित खाता संख्या 630 की आराजीयात एवं खाता संख्या 631 मे खसरा संख्या 55 व 56 की आराजीयात के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे। तथा आराजीयात को रहन,बेचान,हस्तान्तरण नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद किया जावे कि उक्त अवैध दानपत्र का राजस्व रेकार्ड मे अमल नहीं करे। अप्रार्थीगण को वादवर्णित उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे। तथा यथास्थिति बनाये रखें। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे। जिससे प्रार्थीगण को अपने पिता छीतर की आराजी एवं खातेदारी की आराजी से वंचित होना पडे। वकील प्रार्थीगण को प्रकरण दर्ज किये जाने पर दिनांक 22.02.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित किया गया था जो आज भी जारी है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की और से श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ वकील अप्रार्थीगण ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। जवाब प्रस्तुत होने के बाद पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्धान वकील प्रार्थी श्री हेमराज कानावत का कथन है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जा सकता है यदि विवाद पारिवारिक सदस्यों के बीच हो। प्रस्तुत प्रकरण मे विवाद पारिवारिक सदस्यो के बीच है तथा न्यायालय श्रीमान् ने इसी दृष्टिकोण के चलते अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश एकपक्षीय रूप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त जारी किया गया था जो आज तक चला आ

श्रीमति अनार बाई बनाम श्रीमति पुष्पा बाई,आर0आर0टी0 2014–15सप्लीमेन्ट्री पेज 596(हाईकोर्ट)महेन्द्र सिंह बनाम श्रीमति मूर्ति देवी,डी0एन0जे02013(1)सुप्रीम कोर्ट 51 पेश की । अप्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि पैतृक जायदाद होना सिद्ध नहीं होता है। दानपत्र को खारिज करवाना चाहते है लेकिन इसके लिए यह न्यायालय अधिकृत नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। जायदाद स्वयं द्वारा खरीद किया जाना माना गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित नही किया जाना चाहिए।अपने कथन के समर्थन मे उद्धरण आर0बी0जे0 2018 पेज 499 रवि माहेश्वरी बनाम परमेश्वरी देवी तथा आर0बी0जे0 2018 पेज 503 भागीरथ बनाम रामचंद प्रस्तुत किये।

मैने पत्रावली पर दस्तावेज कां अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया,तथा उनके द्धारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थीगण,अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है अथवा नही ? प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु सारभूत तीनो बिन्दु अपने पक्ष मे साबित कर पा रहे है, अथवा नहीं ?

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम पीपलाज की जमाबंदी संवत् 2069–72के खाता संख्या 630–614 किता 8 रकबा 2.84 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी मे है। तथा खाता संख्या नंया पुराना 631–615 किता 3 रकबा 1.20 चाही 1 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे है। प्रत्येक इंच भूमि मे सहखातेदार का हिस्सेनुसार काबिज होता है तथा रेकार्डे खातेदार के खिलाफ संयुक्त खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोषनहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण अपनें पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है।

सुविधा का संतुलनः– प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते किन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार है अतः प्रार्थीगण,अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं पाया जाता है।

अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थीगण को ,प्रस्तुत प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं होने की सूरत मे कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं है जिससे उनकी पूर्ति होना असंभव हो। अर्थात् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो आवश्यक सारभूत बिन्दु अपने पक्ष मे साबित करने मे प्रार्थीगण सफल नहीं हुए है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्णायक नहीं है। हक अधिकार का प्रश्न बाद शहादत मूल वाद मे तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2020.02.28 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: